(34)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

विविध प्रकरण सं. 13/2007

1. बाल कृष्ण अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र निवासी 3—J—33 ज्वाहर नगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

वनाम

1. लाल चन्द (मृतक)

1/1 लिछमा पत्नी श्री लालचन्द जाति जाट निवासी तलवाडा झील तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़

1/2 हरिश पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी तलवाडा झील तह0 टिबी जिला हनुमानगढ़

1/3 श्रीमति इन्द्रा पुत्री स्व० श्री लालचन्द पत्नी श्री सुभाष पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी बणी तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)

1/4 श्रीमति सरोज पुत्री स्व० श्री लालचन्द पत्नी श्री भिमसेन पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी हजीरा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

1/5 श्रीमति रानी पुत्री स्व० श्री लालचन्द पत्नी श्री राजपाल पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी हजीरा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

1/6 श्रीमति रोशनी पुत्री स्व० श्री लालचन्द पत्नी श्री मदन लाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी बणी तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)

2. देवीलाल (मृतक)

2/1 औमप्रकाश पुत्र देवीलाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/2 कृष्ण पुत्र देवीलाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/3 प्रेमसुख पुत्र देवीलाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/4 रामचन्द्र पुत्र देवीलाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/5 पृथ्वीराज पुत्र देवीलाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (मृतक)

2/5/1 शारदा पत्नी पृथ्वीराज पुत्र देवीलाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिबी जिला हनुमानगढ

2/5/2 अखिल कुमार पुत्र पृथ्वीराज पुत्र देवीलाल निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

2/5/3 ममता पुत्री पृथ्वीराज पत्नी श्री रवी पुनीया पुत्र श्री महेन्द्र पुनियां (जाट) निवासी चक 2 सी.डी.आर. वार्ड नं0 15 माणक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/6 इमरती देवी पुत्री देवी लाल पत्नी प्रेम जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3. बलराम पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल निवासी 3 एच 22 ज्वाहर नगर श्रीगंगानगर

4. सावित्री देवी पत्नी स्व जगदीश चन्द्र अग्रवाल निवासी 3 एच 22 ज्वाहर नगर श्रीगंगानगर (मृ0)

4/1 नन्दलाल पुत्र स्व० जगदीश चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 1 जी 12 जवाहर नगर श्री गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4/2 रूकमणी देवी पुत्री श्री स्व० जगदीश चन्द्र पत्नी आत्माराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न0 23 टेलटियों का मोहल्ला भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/3 कृष्णा देवी पुत्री श्री स्व० जगदीश चन्द्र पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी एस बी बी जे रोड़ 06943 गली न० 5 नामदेव मार्ग बठिन्डा तहसील व जिला बठिन्डा (पंजाब)

4/4 सुशीला देवी पुत्री श्री स्व० जगदीश चन्द्र पत्नी श्री अमरनाथ गोयल जाति अग्रवाल निवासी नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कोटकपुरा तहसील कोटकपूरा जिला फ़रीद कोट (पंजाब)

4/5 उषादेवी पुत्री श्री स्व० जगदीश चन्द्र पत्नी श्री प्रवीण कुमार गोयल जाति अग्रवाल निवासी रोमाना पार्क दीपक बसल के मकान के पास वार्ड न० 1 रायसिह नगर जिला श्रीगंगानगर।

4/6 पुष्पा देवी पुत्री श्री स्व० जगदीश चन्द्र पत्नी श्री विष्णु कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न० 02 किले के पास पुराना पोस्ट ऑफिस हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

(35)

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्रावली बअनवानी बालकृष्ण बनाम लालचन्द आदि अपील संख्या 34(599)/04 व अपील संख्या 35 (596)/04 में पारित निर्णय की पालना किये जाने बाबत।

उपस्थितः— 1. श्री बालकृष्ण अग्रवाल अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री इन्दाज गोदरा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1/1 ता 2/6।
3. श्री जसवीर सिंह सुवेदी अप्रार्थी सं. 3, 4/1 ता 4/6।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

—:निर्णय:—

दिनांकः—26.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नारायणाराम गोविन्दराम व मेघाराम नामक व्यक्तियों की 44 बीघा 09 बिस्वा भूमि तलवाड़ा बांध में आ जाने के कारण तत्कालीन जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर ने आदेश दिनाक 14—11—71 के अनुसार नारायणाराम आदि को 99 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि राजस्थान भूमि आवाप्ति अधिनियम 1953 के अनुसरण में तबादले में दी गई। यह कृषि भूमि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री जगदीशचन्द्र ने अपने जीवनकाल में जरिये बैयनामा दिनांक 29—12—1971 को उक्त समस्त 99 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि खरीद कर ली। जिसका नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 14—04—1974 को स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेख में जगदीशचन्द्र का नाम दर्ज हो गया एवं कृषि भूमि का कब्जा जगदीशचन्द्र को प्राप्त हो गया । जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 19—10—77 द्वारा पूर्व आदेश 14—11—71 को निरस्त कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर प्रार्थी के पिता जगदीशचन्द्र ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल याचिका पेश की। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनाक 12—07—1978 को जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर का आदेश दिनाक 19—10—77 निरस्त कर दिया व प्रकरण जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया। जिस पर श्रीमान् जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर ने प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 226/78 बअनवानी राजस्थान राज्य बनाम जंगदीशचन्द्र के नाम से दर्ज कर प्रार्थी के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 04—12—85 को निर्णय पारित किया एंव अपने पत्र दिनाक 05—08—86 द्वारा तहसीलदार टिब्बी को कब्जा जगदीशचन्द्र को वापिस लौटाने के आदेश पारित किए क्योंकि पूर्व के निर्णय दिनांक 19—10—77 की पालना में श्रीजगदीशचन्द्र को प्रश्नगत कृषि भूमि से बेदखल कर दिया था। श्रीमान् जिला कलैक्टर द्वारा कब्जा दिये जाने के आदेश जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया के न्यायालय में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज० काश्त० अधिनियम का प्रस्तुत किया एव दावा के लम्बित रहने के दौरान जगदीशचन्द्र का स्वर्गवास हो गया। जिस पर प्रार्थी व अप्राथी संख्या 3 व 4 को स्व0जगदीशचन्द्र के विधिक वारिस मानते हुए रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिए गए। राजस्व बाद में प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 3 व 4 ने प्रतिदावा प्रस्तुत किया। सहायक कलैक्टर संगरिया ने दिनांक 29—11—01 को अप्रार्थी सख्या 1 व 2 का बाद पत्र एंव प्रार्थी एव अप्रार्थी सख्या 3 व 4 का प्रतिदावा निरस्त कर दिया। न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया के निर्णय दिनाक 29—11—01 से अप्रसन्न होकर लालचन्द ने अपील बअनवानी लालचन्द बनाम बालकृष्ण आदि के नान से प्रस्तुत की जो अपील संख्या 10/02 पर दर्ज हुई व इसी निर्णय बाबत बालकृष्ण ने अपील बअनवानी बालकृष्ण बनाम लालचन्द आदि के नाम से प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 34/02 पर दर्ज हुई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ करते हुए लालचन्द द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 10/2002 स्वीकार कर बालकृष्ण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 34/02 अस्वीकार कर दी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के द्वारा यह निर्णय दिनांक 12—11—03 को पारित किया गया। लालचन्द ने न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 12—11—03 की इजराय प्रस्तुत कर प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम अंकित करवा ली। प्रार्थी बालकृष्ण ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 12—11—03 से अप्रसन्न होकर दो अपीले बालकृष्ण आदि बनाम लालचन्द आदि के नाम से प्रस्तुत की जो अपील

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सख्या 34 (599) / 04 / हनुमानगढ व अपील संख्या 35 (596)/04 / हनुमानगढ़ पर दर्ज की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दोनो अपीलों का सामायोजन करते हुए अपना निर्णय दिनाक 24–02–07 को पारित किया एव यह आदेश दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनाक 12–11–03 दोनों प्रकरणों में निरस्त किए जाते है एवं प्रकरण जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित किया जाता है जो पैरा 18 के सन्दर्भ में रेसपोडेन्ट सख्या 1 व 2 को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करें। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24–02–07 की पालना में अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। चूँकि राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12–11–03 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दोनो अपीलों में निरस्त किए जा चुके है। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक 12–11–03 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में कायम की जानी न्यायोचित है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत कृषि भूमि का नाजायज लाभ उठाते चले आ रहे है। पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का राजस्व वाद निरस्त हुआ हुआ है और वर्तमान में राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 12–11–03 अपास्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रश्नगत कृषि भूमि से निष्कासित किया जाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में फसल खरीफ (सावणी) की बिजाई का समय नजदीक आ रहा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत कृषि भूमि पर अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रश्नगत कृषि भूमि से निष्कासित किया जाना न्यायोचित है। जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19–10–77 की पालना में विवादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर प्रार्थी के पिता जगदीशचन्द्र को बेदखल किया गया था एंव राजस्व अभिलेख में रकबा राज दर्ज कर दिया गया।। जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से काविज हो गये। जिस पर जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 05–08–86 द्वारा तहसीलदार टिब्बी को प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी के पिता जगदीशचन्द्र को वापिस लौटाने के आदेश दिए। जिस पर तहसीलदार टिब्बी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रारम्भ की। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया के न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश पारित कर लिया। जिससे अप्रार्थी सख्या 1 व 2 को बेदखल नहीं किया जा सका। अब चूँकि राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 12–11–03 अपास्त हो चुका है एंव मूल वाद भी निरस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनाक 05–08–86 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रश्नगत कृषि भूमि से निष्कासित कर कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी बालकृष्ण को दिया जावे एव तद्दोषरान्त सुनवाई कर अन्तिम निर्णय पारित किया जाये। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 24–02–07 की पालना अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर एंव पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर यथानुसार निर्णय फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थी सं0 1/1 ता 2/6 की और से श्री इन्द्राज गोदारा उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–06–2015 को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 2/6 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की प्रार्थी बालकृष्ण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दो अपीले 34/599/2004 व 35/596/2004 पेश की गई जो आदेश दिनाक 24–2–2007 को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 को सुनवाई का अवसर देते हुए स्वीकार फरमाई गई। जिस पर पत्रावली माननीय न्यायालय मे पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई है जिस पर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 14–11–71 की मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां पेश नही की है व ना ही धन्नाराम को उक्त विवादग्रस्त आराजी आवंटन से पूर्व आराजी राज नहीं

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

होकर नारायण राम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने । दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में पेश किया है जबकि धन्नाराम को विवादग्रस्त आराजी आवंटन होने से पूर्व आराजी राज भूमि थी तथा मौका पर कब्जा भी टी सी आदेश के आधार पर धन्नाराम का ही होना दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2022–2025 (1965–68) व जमाबंदी सम्वत 2026–2029 (1969–1972) मे इंतकाल संख्या 30 से साबित है कि वर्णित आराजी पहले धन्नाराम को आबादी में अवाप्त भूमि के तबादला मे आवंटन से प्राप्त हुई थी तथा उसी आराजी को दोबारा नारायणराम आदि को तबादला में आवंटित की गई है जो विधि विरुद्ध होने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा 19–10–1977 को आवंटन खारिज फरमाया गया है जबकि धन्नाराम के आवंटन आदेश को अभी तक किसी भी न्यायालय ने न तो चुनौती दी गई है व ना ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 1–3–72 को निरस्त फरमाया गया है इसी आवंटन आदेश के आधार पर अप्रार्थीगण के उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त हुई तथा आवंटन आदेश की दिनांक से ही कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का चलता आ रहा है तथा उक्त आराजी से अप्रार्थीगण द्वारा ही अपनी मेहनत से काबिल काश्त बनाया है जिस कारण न्यायहित में अप्रार्थीगण को खरीदशुदा भूमि वाके चक 1 जी जी आर प० नं0 231/300 किला नं0 2 की 18 बिस्वा 9 व 10 सालम कुल 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 2/6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा कब्जा काश्त भी पूर्व से ही चला आ रहा है, उसे 53 वर्ष बाद बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त रकबा धन्नाराम पुत्र रामकरण को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 1–3–72 को टी सी से पुख्ता आवंटन में दी थी जिसका नामान्तरण 11–3–72 को धन्नाराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ था। उक्त आराजी धन्नाराम द्वारा दिनांक 29–6–72 को विक्रय करने पर इन्तकाल संख्या 52 दिनाक 24–6–1973 को अप्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी तथा धन्नाराम ने उक्त भूमि आबादी में अवाप्त शुदा भूमि के तबादला में जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा सन् 1965–68 की जमाबंदी में अंकन अनुसार टी सी आवंटन की गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन सम्वत 2026 से 2029 (सन् 1969–72) की खतौनी संख्या 143 में दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पिता जगदीश द्वारा उक्त भूमि नारायण राम आदि से 29–12–71 को क्रय करना बताया है जिसके आधार पर नामांतरण संख्या 59 तारीख 14–4–74 को दर्ज हुआ तथा नारायण को उक्त आराजी तबादला आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 14–11–71 द्वारा इंतकाल संख्या 58 दिनांक 3–3–74 को स्वीकृत होने तथा नारायण राम आदि को उक्त भूमि नाली डोब व बांध में अवाप्त भूमि के बदले में मिलने का तथ्य अंकित किए है जो कतई निराधार व विधि सम्मत नहीं होने से अस्वीकार है क्योकि गोविंद राम द्वारा ब अदालत एस डी ओ साहब हनुमानगढ़ में दिनांक 30–11–72 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर नाली डोब बांध में अवाप्त अपनी 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की एवज में मुआवजा मे पारित अवार्ड राशि 4750/–रूपये देने की प्रार्थना की तब एस डी ओ साहब हनुमानगढ द्वारा प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार साहब हनुमानगढ से मूल पत्रावली मंगवाई गई जिसमे गोविंदराम द्वारा दिनांक 21–5–65 को प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा व ब्यान स्वयं व नारायण राम, मेधाराम दर्ज कर करवाए गए व पटवार हल्का से रिपोर्ट तलब कर गोविंद राम आदि की सम्पूर्ण भूमि व बांध में अवाप्त भूमि की रिपोर्ट तलब कर मुआवजा राशि का विधिवत निस्तारण किया गया। उसी दौरान गोविंदराम की मृत्यू होने पर उसके वारिसान द्वारा उक्त मुआवजा राशि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31–3–80 द्वारा जारी किया गया जिससे साबित है कि नारायण राम आदि की नाली डोब में महज 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही अवाप्त हुई थी जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में समस्त 44 बीघा भूमि अवाप्त होना अंकित किया है जो कत्तई मिथ्या व निराधार होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। जिसके सम्बध में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार फरमाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जिस आधार पर श्रीमान जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा नारायणराम आदि के आंवटन 9461/71 दिनांक 14–11–71 को तबादला आदेश की पत्रावली में ही फर्द अहकाम दिनांक 4–3–72 द्वारा क्रमाक 1276/4–3–72 द्वारा पत्र जारी कर तहसीलदार टिब्बी से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र विवादग्रस्त आराजी बाबत विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई गई थी उक्त पटवारी रिपोर्ट व व अदालत उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ की मूल पत्रावली 1/72 बअनवानी नारायण राम जादू बाबत तबादला भूमि पत्रावली प्रार्थी द्वारा आज तक माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है जबकि वादग्रस्त आराजी जब नारायण आदि के नाम तबादला आदेश

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

के आधार पर नामांकन दर्ज हुआ था उस नामान्तरण में भी दूरुस्ती आदेश 21–4–72 का अंकन किया गया है परन्तु दुरुस्ती किस आधार पर व किस विषय पर की गई ऐसा कोई आदेश अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। क्योकि प्रार्थना पत्र में जो भूमि विवादग्रस्त है उक्त भूमि धन्नाराम को नारायण राम आदि से पूर्व जरिये टी सी आदेश आवंटन कर दी गई थी तथा कब्जा भी धन्नाराम को सुपुर्द कर दिया गया परन्तु पुख्ता आवंटन होने से पूर्व राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा आराजीराज चला आ रहा था इस पर जब उक्त रकबा पुनः जब नारायण आदि को तबादला आदेश दिनाक 14–11–71 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया तब धन्नाराम आदि ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रकबा उन्हें टी सी आदेश द्वारा दिए जाने की जानकारी दी तब उक्त आराजी जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा उक्त रकबा धन्नाराम को आदेश दिनांक 1–3–72 द्वारा तबादला के आधार पुख्ता आवंटित कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया गया जिस पर पत्र क्रमांक 1194/11–3–72 द्वारा उक्त आराजी धन्नाराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है उक्त तबादला के आधार पर टी सी आवंटन आदेश व नामान्तरण संख्या 30 की आज तक अपीलांट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है जबकि प्रार्थी द्वारा क्रय भूमि के आवंटन आदेश को माननीय जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा दिनांक 19–10–77 को अपने पूर्व आदेश दिनांक 14–11–71 को खारिज फरमाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर यह तथ्य साबित नहीं किया है कि नारायण राम आदि को जो भूमि नाली डोब व बांध में अवाप्त की गई उस पर वर्तमान में कौन काबिज है तथा जो भूमि तबादला में उन्हें मिली थी उसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाया गया है या नहीं तथा तबादला में मिली भूमि पर वर्तमान में कौन काबिज है व अगर कोई अन्य व्यक्ति काबिज है तो किस आधार पर काबिज है। इस बाबत कई अन्य काश्तकारों ने भी प्रार्थी के पिता के विरुद्ध शिकायत श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के दर्ज करवाई थी जो पत्रावली में पेश है जिस पर भी श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा जांच हेतु पटवार हल्का से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई थी जिससे प्रार्थी बालकृष्ण व जगदीश द्वारा विधि विरुद्ध तबादला व आवंटन में भूमि श्रीमान जिला कलक्टर से करने के तथ्य अंकित किए थे जिस पर जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा दिनाक 19–10–77 को पूर्व में किए गए आवंटन आदेश 14–11–71 को इस आधार पर निरस्त किया गया था कि जिस भूमि को घग्घर फल्ड में अवाप्त होने के आधार पर तबादला लिया गया था वो सम्पूर्ण भूमि नारायण राम आदि की खुद काश्त खातेदारी भूमि नहीं थी उक्त भूमि में से कुछ भूमि वीरू आदि की गैरदाखिलकारी भूमि थी जो वीरू आदि को खुदकाश्त के आधार पर सक्षम न्यायालय के आदेश से खातेदारी में दर्ज हुई तथा वर्तमान में भी वीरू आदि के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिससे साबित है कि नारायण राम आदि की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नही की गई फिर भी तबादला में 99 बीघा भूमि आवंटित कर जल्दबाजी में विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित विवादग्रस्त आराजी चक 1 जी जी आर में हम अप्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि का आवंटन विक्रेता धन्नाराम को विधिवत आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर किया गया व आवंटन आराजी की कब्जा काश्त भी धन्नाराम के सुपुर्द की थी व धन्नाराम द्वारा उक्त आराजी विक्रय करने पर कब्जा काश्त हम अप्रार्थीगण को सुपुर्द की थी तथा उसी अनुसार हम अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रहा है तथा उक्त आराजी को हम अप्रार्थीगण ने ही 52 वर्षों से अपनी मेहनत व खर्चा कर काबिल काश्त बनाया है जबकि प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा भूमि के विक्रेता नारायण राम को इसी विवादग्रस्त आराजी का आवंटन सम्पूर्ण आवंटन प्रक्रिया का पालन कर नहीं किया गया है क्योंकि जब भूमि पूर्व मे धन्नाराम को आवंटित हो गई थी तो दुबारा उसी भूमि का आवंटन नारायण को नहीं किया जा सकता था जिस कारण नारायण राम को किया गया आवंटन विधिवत नही होने के कारण जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा आदेश दिनाक 19–10–77 को अपने पूर्व आवंटन आदेश दिनांक 14–11–71 को निरस्त किया था जबकि हम अप्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि का आवंटन दिनांक 1–3–72 को आज दिनांक तक कभी निरस्त नहीं किया गया है जिस कारण लगभग 52 वर्षों बाद जब अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि की खातेदारी दी जा चुकी है तब उसे निरस्त कर विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करना विधि पूर्ण नहीं है तथा जब तक पूर्ववर्ती आवंटन निरस्त नहीं किया जाता तब तक नया आवंटन नहीं किया जा सकता है इसलिए अपीलांट के पक्ष में किया गया पश्चातवर्ती आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है साथ ही गलत नामान्तरण पूर्व में दर्ज होने से किसी को कोई अधिकार प्राप्त

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

नही होते है तथा हम अप्रार्थीगण का आवंटन के पश्चात् नामान्तरण देरी से दर्ज होने से हमारे हक अधिकार समाप्त नही हो जाते है क्योकि हम अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन आज दिवस तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी को किया गया आवंटन विधि पूर्ण नहीं होने से माननीय कलक्टर साहब श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19–10–77 को निरस्त फरमाया गया था तथा प्रार्थी द्वारा नारायण राम आदि से तबादला में मिली 99 बीघा भूमि क्रय करना भी संदिग्ध प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी द्वारा उक्त 99 बीघा भूमि क्रय करते समय नारायण राम आदि की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त भी मौके पर नहीं थी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी भूमि अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है जिसके विवाद भी विभिन्न न्यायालयो में विचाराधीन है जिसकी शिकायत भी प्रार्थी के विरूद्ध कई काश्तकारों ने दर्ज कराई थी जिससे साबित है कि भूमि नारायण राम आदि का विधिवत आवंटन नहीं की गई थी तथा उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी प्रार्थी के पिता द्वारा विवादग्रस्त भूमि क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है तथा प्रार्थी द्वारा आज दिनाक तक हम अप्रार्थी की खरीदशुदा भूमि के आवंटन दिनांक 1–3–72 को चुनौती नहीं दी गई है जबकि उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को शुरू से ही रही है जिससे साबित है कि विधि विरुद्ध आवंटित भूमि को क्रय करने से प्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा खरीदशुदा भूमि का आवंटन विधिवत होना दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध होने के कारण अप्रार्थीगण की खरीदशुदा आवंटित भूमि की खातेदारी 52 वर्ष बाद निरस्त नहीं की जा सकती है व ना ही अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि की कब्जा काश्त से बेदखल किया जाना विधि सम्मत है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व माननीय जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 5–8–1986 आधारहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाया जाकर हम अप्रार्थीगण को वर्णित आराजी वाके चक 1 जी जी आर के प० नं0 231/300 के किला नम्बर 2 की 18 बिस्वा व 9. 10 सालम कुल 2 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कर वाद वादी डिकी फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. अप्रार्थी ने सहायक कलक्टर, संगरिया के यहां एक वाद धारा 88 व 188 अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि बाबत पेश किया जिसमें यह आधार लिया गया कि वादग्रस्त भूमि धन्नाराम पुत्र रामकरण को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने दिनांक 11–3–72 को तबादले में दी थी जिसे रेस्पोडेन्ट सं 1 व 2 ने धन्नाराम से दिनांक 29–6–72 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। सहायक कलक्टर, संगरिया ने निर्णय दिनांक 29–11–2001 द्वारा वाद एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दोनों निरस्त कर दिये। जिसके विरूद्ध दो अपीलें लालचन्द बनाम बालकृष्ण व बालकृष्ण बनाम लालचन्द राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई जिसमें दिये गये एकल निर्णय दिनांक 12–11–2003 द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार कर ली तथा प्रार्थी की अपील खारिज कर दी गई।
2. राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 12–11–03 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश अपील सख्या 34 (599) / 04/ हनुमानगढ़ व अपील संख्या 35 (596)/04 / हनुमानगढ़ जिसपर दोनो अपीलों का समायोजन करते हुए अपना निर्णय दिनांक 24–02–07 को पारित किया की राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–11–03 दोनों प्रंकरणों में निरस्त किए जाते है एव प्रकरण अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को प्रेषित किया जाता है जो पैरा 16 के सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करें।
3. नारायणराम, गोविन्दराम व मेधाराम की 44.09 बीघा भूमि तलवाडा बांध में आ जाने के कारण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 14–11–71 से 99.14 बीघा भूमि उन्हें तबादले में दी जिसमें अन्य भूमि के साथ चक 1 जी.जी.आर. के पत्थर सं. 231/300 के किला नं 2 की 0.18, 9 की 1.00 व 10 की 1.00 कुल 2.18 बीघा भूमि भी सम्मिलित है, जिसका नामान्तरकरण सं. 58 दिनांक 3–3–74 को नारायणराम आदि के नाम से स्वीकृत हुआ। नारायणराम आदि ने विवादित भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 29–12–71 को प्रार्थी के पिता

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(40)

जगदीशचन्द्र को विक्रय कर दी, जिसका इन्तकाल सं. 59 दिनांक 14–4–74 को स्वीकृत किया गया एवं इस आधार पर जमाबंदी में भी नाम अंकित हो गया।

4. विवादित भूमि नारायणराम को दिनांक 14–11–71 को भूमि तबादले में दी गई थी एवं जिनसे प्रार्थी के पिता द्वारा क्रय की गई। तत्पश्चात् यही भूमि धन्नाराम पुत्र रामकरण को आदेश दिनांक 11–3–72 से तबादले में दी गई जिसे अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने क्रय किया है एवं यह पश्चात्वर्ती आदेश है। यह भूमि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 19–10–77 द्वारा खारिज कर दी थी किन्तु इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.1978 द्वारा अमान्य कर दिया गया व प्रकरण पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने पुनः जाँच करते हुए विवादित भूमि प्रार्थी के पिता को लौटाने का आदेश दिया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश की पालना की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार टिब्बी को पालनार्थ भिजवायी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)